



व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर पर सरकार की पैनी नजर, साइबर सुरक्षा और फर्जी पहचान के खतरे को लेकर शुरु होगी समीक्षा

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का प्रस्तावित यूजरनेम फीचर लॉन्च से पहले ही केंद्र सरकार की निगरानी में आ गया है। सरकार इस नए फीचर के सुरक्षा, गोपनीयता और कानूनी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने की तैयारी में है। अधिकारियों को आशंका है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना यह सुविधा शुरू की गई तो साइबर अपराधियों, ऑनलाइन ठगों और फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के लिए यह नया माध्यम बन सकती है। यही कारण है कि सरकार ने इस फीचर को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखना शुरू कर दिया है।

समझना चाहती है कि यदि उपयोगकर्ता केवल यूजरनेम के माध्यम से संवाद कर सकेंगे और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से साझा नहीं होगा, तो इसका साइबर अपराध, डिजिटल पहचान और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट्सएप का नया यूजरनेम फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर की बजाय एक विशिष्ट यूजरनेम के माध्यम से अन्य लोगों से जुड़ने की सुविधा देने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाना बताया जा रहा है, ताकि वे अपना निजी मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी बातचीत कर सकें। इसी तरह की सुविधा पहले से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हालांकि भारत सरकार का मानना है कि देश में करोड़ों उपयोगकर्ताओं और तेजी से बढ़ते डिजिटल एनर्जेन को देखते हुए इस तरह की सुविधा के जोखिम भी उठने ही बड़े हो सकते हैं।



साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल नंबर की बजाय केवल यूजरनेम के आधार पर पहचान बनने से अपराधियों के लिए किसी बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि या परिचित व्यक्ति के नाम से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को भ्रमित करना आसान हो सकता है। फर्जी प्रोफाइल बनाकर निवेश, नौकरी, डिजिटल

भुगतान, लोन, केवाईसी अपडेट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में तेजी आई है और साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी भी नई तकनीकी सुविधा

के संभावित दुष्प्रभावों का पहले से आकलन करना चाहती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्तावित फीचर भारत के मौजूदा दूरसंचार और डिजिटल सुरक्षा नियमों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक खाते का एक सत्यापित मोबाइल नंबर से जुड़ा होना आवश्यक है। मोबाइल नंबर की यह व्यवस्था जांच एजेंसियों को आवश्यक परिस्थितियों में उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने में सहायता करती है। यदि यूजरनेम आधारित संवाद प्रणाली अधिक प्रमुख हो जाती है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्यापित मोबाइल नंबर की अनिवार्यता और कानूनी जवाबदेही किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े। दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किए गए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी, सिम कार्ड के दुरुपयोग और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण

स्थापित करना है। इन नियमों के तहत सिम आधारित पहचान और सत्यापन व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। सरकार यह मूल्यांकन कर रही है कि यूजरनेम आधारित संचार कहीं इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को प्रभावित तो नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा से इस प्रस्तावित फीचर को लेकर विस्तृत जानकारी मांग सकती है। सरकार यह जानना चाहती है कि फर्जी यूजरनेम रोकने, किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग रोकने तथा शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार कंपनी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान लागू करने के निर्देश भी दे सकती है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि यदि किसी नए डिजिटल फीचर के कारण साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं तो संबंधित डिजिटल

प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी तय की जाएगी। आधारित पहचान और सत्यापन व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। सरकार यह मूल्यांकन कर रही है कि यूजरनेम आधारित संचार कहीं इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को प्रभावित तो नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा से इस प्रस्तावित फीचर को लेकर विस्तृत जानकारी मांग सकती है। सरकार यह जानना चाहती है कि फर्जी यूजरनेम रोकने, किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग रोकने तथा शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार कंपनी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान लागू करने के निर्देश भी दे सकती है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि यदि किसी नए डिजिटल फीचर के कारण साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं तो संबंधित डिजिटल

अपराधों पहले विश्वास पैदा करते हैं और फिर आर्थिक ठगी को अंजाम देते हैं। यदि यूजरनेम आधारित पहचान में पर्याप्त सत्यापन व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे अपराधों की जांच और रोकथाम दोनों अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल नवाचार का स्वागत किया जाएगा, लेकिन किसी भी नई तकनीक की कीमत नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता करके नहीं चुकाई जा सकती। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर की विस्तृत तकनीकी और कानूनी समीक्षा की जाएगी। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं, तो कंपनी डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—भारत का डिजिटल इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह बना रहे, ताकि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नागरिकों का विश्वास भी मजबूत बना रहे।

भारत-पाक रिश्तों में नई पहल की अपील, 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी और शहबाज शरीफ को लिखा संयुक्त पत्र

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों देशों की 117 प्रतिष्ठित हस्तियों ने एक साझा पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त पत्र लिखकर संवाद, विश्वास बहाली और द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की है। इस पत्र में दोनों सरकारों से आग्रह किया गया है कि लगातार बढ़ते अविश्वास और टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, ताकि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास का नया वातावरण तैयार हो सके। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त नौकरशाह, राजनीतिक नेता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हैं।



सबसे अधिक असर आम नागरिकों, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय विकास पर पड़ा है। उनका मानना है कि संवाद की प्रक्रिया दोबारा शुरू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारतीय पक्ष से पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित अनेक पूर्व अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुशीद महमूद कसुरी सहित कई पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने इस पहल का समर्थन किया है।

समाधान नहीं है। इसके विपरीत, बातचीत और कूटनीतिक संपर्क ही ऐसे माध्यम हैं, जिनसे जटिल मुद्दों पर भी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। पत्र में दोनों सरकारों से सबसे पहले एक-दूसरे की राजधानियों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित अनेक पूर्व अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुशीद महमूद कसुरी सहित कई पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने इस पहल का समर्थन किया है।

के बाद भी दोनों देशों के करोड़ों लोगों के पारिवारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध आज भी कायम हैं। वीजा प्रक्रिया आसान पड़ोसी देश हैं, इसलिए दोनों के बीच स्थायी शांति केवल द्विपक्षीय संवाद और आपसी विश्वास से ही संभव है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि युद्ध, सैन्य तनाव और लगातार बढ़ती कटुता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके विपरीत, बातचीत और कूटनीतिक संपर्क ही ऐसे माध्यम हैं, जिनसे जटिल मुद्दों पर भी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। पत्र में दोनों सरकारों से सबसे पहले एक-दूसरे की राजधानियों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित अनेक पूर्व अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुशीद महमूद कसुरी सहित कई पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने इस पहल का समर्थन किया है।

सीवर-सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई कब बंद होगी? श्रमिकों की जान अभी भी खतरे में है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल छोटे-बड़े सभी काम आधुनिक उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। लेकिन नालियों की सफाई के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल अभी भी खतरनाक है। परिणामस्वरूप, सेप्टिक टैंक और नालियों की सफाई के दौरान होने वाली मौतें आम बात हो गई हैं। पिछले सप्ताह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडाड़ा इलाके में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। जहां एक कारखाने के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण तीन मजदूरों की जान चली गई। इस घटना के एक बार फिर सुरक्षा नियमों की अमंदाई को उजागर किया है। खबरों के अनुसार, मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भेजा गया था।



जिसके कारण यह त्रासदी हुई। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिल्ली समेत पूरे देश में अदालत के निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट

रूप से कहा था कि सेप्टिक टैंकों और सीवरों की मैनुअल सफाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि, हमारे गुजरात समेत कई राज्यों में समय-समय पर ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। यह गंभीर

चिंता का विषय है कि सुरक्षा नियमों का पालन करने के सख्त निर्देशों के बावजूद, श्रमिकों को बिना किसी सावधानी के सीवरों और सेप्टिक टैंकों में उतारा जा रहा है। कर्मचारियों को जहरीली गैसों के बीच भेजने से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच या उसकी शुद्धता का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसी कारण, ऐसे हादसों में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देने के संबंध में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वास्तव में, केवल कागज पर नियम बनाने से व्यवस्था में सुधार नहीं आता। यह आवश्यक है कि इन्हें जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए और ऐसी शर्मनाक और कलंकित घटनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।

राजस्थान में सामूहिक बलात्कार के आरोप में 13 वर्षीय लड़की गिरफ्तार, 10 आरोपी गिरफ्तार, विवाद का केंद्र बना

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक तरफ जहां पूरे देश में "बेटी को बचाओ, बेटी को शिक्षित करो" का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके जीवन को बर्बाद करने की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के गी गंगानगर में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ चार दिनों के भीतर लगभग एक दर्जन लोगों ने यौन उत्पीड़न किया। शनिवार को सामने



आए इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है। इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि आरोपियों ने दुर्व्यवहार के दौरान लड़की को शराब पिलाई। लड़की को चार होटलों में प्रताड़ित किया गया। लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे 22 जुन को जांच इन होटल में पाया, जो इन आरोपियों का शिकार था।

चार्जशीट की प्रति न मिलने से नहीं मिलेगा डिफॉल्ट जमानत का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की कानूनी स्थिति

नई दिल्ली। डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आरोप-पत्र (चार्जशीट) की प्रति आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए जाने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि जांच एजेंसी कानून में निर्धारित समय सीमा के भीतर विधिवत चार्जशीट दाखिल कर देती है, तो आरोपी का डिफॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने जैसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी या देरी को डिफॉल्ट जमानत का आधार बनाकर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 193(8) के तहत चार्जशीट की प्रति उपलब्ध अतिरिक्त प्रतियां दाखिल नहीं किए जाने या उनकी आपूर्ति में हुई कमी से स्वयं चार्जशीट अमान्य नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले लागू डंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) दोनों में डिफॉल्ट जमानत का मूल सिद्धांत समान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच एजेंसियां किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखकर जांच लंबित न रखें। इसलिए यदि 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि—जैसा कि अपराध प्रकृति के अनुसार कानून में तय है—के

उद्देश्य समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना है, न कि प्रक्रिया संबंधी हर त्रुटि को डिफॉल्ट जमानत का आधार बनाना। पीठ ने अपने फैसले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 193(3) के तहत यदि निर्धारित प्रारूप में समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी पूरी कर दी मानी जाएगी। इसके बाद आरोपी डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के समान चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने या उनकी आपूर्ति में हुई कमी से स्वयं चार्जशीट अमान्य नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले लागू डंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) दोनों में डिफॉल्ट जमानत का मूल सिद्धांत समान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच एजेंसियां किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखकर जांच लंबित न रखें। इसलिए यदि 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि—जैसा कि अपराध प्रकृति के अनुसार कानून में तय है—के

भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, तभी आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक बार समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद यह अधिकार समाप्त हो जाता है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीएनएसएस की धारा 193(8) के अनुपालन में किसी प्रकार की कमी को धारा 187(3) के तहत मिलने वाले डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के समान नहीं माना जा सकता। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य और कानूनी प्रभाव अलग-अलग हैं। इसलिए चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने में हुई त्रुटि या विलंब को जांच पूरी न होने के बराबर नहीं माना जा सकता। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक बड़े साइबर धोखाधड़ी प्रकरण से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार लगभग 3.81 करोड़ रुपये की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले अपराधियों ने आधुनिक डिजिटल तकनीकों, फर्जी पहचान, जाली दस्तावेजों और विभिन्न बैंक खातों का उपयोग कर लालच दिया था। जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि कुछ बैंक अधिकारियों ने संदिग्ध लेन-देन और खातों के संचालन में कथित रूप से

अपराधियों की सहायता की थी, जिसके बाद मामले की जांच का दायरा और विस्तृत किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने पहले बोम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसे चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए उसकी हिरासत कानून के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह दलील अस्वीकार करते हुए कहा था कि समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल होने के बाद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो चुका है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालत ने कानून की सही व्याख्या की है। शीर्ष अदालत ने माना कि चार्जशीट दाखिल करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। यदि प्रति उपलब्ध कराने में कोई त्रुटि है, तो उसके लिए आरोपी अन्य कानूनी उपाय अपना सकता है, लेकिन इसे डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में डिफॉल्ट जमानत से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर साबित होगा।



गरवी गुजरात हिन्दी



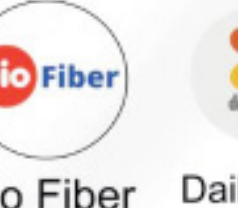
JioTV CHENNAL NO. 2002



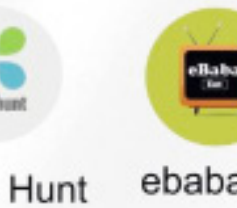
Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba TV



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय सरलता की जरूरत

तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुखा और निभंता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है।

स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को कापी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेंटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है।

सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग देते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुखा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकियाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है। मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उम्रिलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है। डिजिटल बदलाव ने एक सामाजिक पहलू भी है। संस्कृत परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें। निरस्रदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिजाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वीडियो लेनेदेने में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुशुक्ति उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे। जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर इत्तलाने के बजाय थैपने से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी घेने पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीकी की सफलता अभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

अभियान

आस्था की रसोई या विज्ञान की पहली? पुरी के महाप्रसाद का अनेखा रहस्य

भारत की सांस्कृतिक विरासत में कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनकी पहचान केवल पूजा-अर्चना या ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां से जुड़ी परंपराएं भी उन्हें दुनिया भर में विशिष्ट बनाती हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भागवान जगन्नाथ का मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत तीर्थ है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा, विशाल स्थापत्य और भागवान जगन्नाथ की अतृपी परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सबके बीच मंदिर की रसोई और वहां तैयार होने वाला महाप्रसाद भी उतना ही प्रसिद्ध है। इस रसोई की सबसे रोचक बात यह है कि यहां आज भी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया जाता है। इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और लोकमान्यता के अनुसार सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। यही परंपरा क्यों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। भागवान जगन्नाथ मंदिर भारत के चार प्रमुख धामों में शामिल है और इसकी धार्मिक प्रविष्टता अत्यंत उच्च मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान शासक अंतर्तर्तमन चौडोगा देव ने करवाया था। तब से लेकर आज तक मंदिर की पूजा-पड्ढती, विशेष और महाप्रसाद बनाने की परंपरा लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। समय के साथ

दुनिया में तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई आज भी उसी पारंपरिक व्यवस्था के साथ संचालित होती है, जो सदियों पहले स्थापित की गई थी। यही कारण है कि इसे केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवित जगन्नाथ का मंदिर ऐसा भी माना जाता है। मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी पारंपरिक मंदिर रसोइयों में स्थान प्राप्त है। यह विशाल परिसर अनेक कक्षों और सैकड़ों पारंपरिक चूल्हों से सुसज्जित है। प्रतिदिन यहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। लगभग 600 रसोइए और 400 से अधिक सहयोगी सेवक इस सेवा में लगे रहते हैं। इन परिवारों की कई पीढ़ियां यहीं से इसी सेवा को अपना धार्मिक दायित्व मानकर निभा रही हैं। भोजन बनाना उनके लिए केवल पक-कला नहीं, बल्कि भागवान की सेवा का एक पवित्र माध्यम है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रक्रिया अत्यंत अनुशासन, शुद्धता और निष्पत्ति धार्मिक नियमों के अनुसार पूरी की जाती है। इस रसोई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भोजन आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। चावल, दाल, सब्जियां, खिचड़ी, खीर, पिठा, मीठे व्यंजन और अन्य पारंपरिक ओडिया पकवान नए मिट्टी के पात्रों में पकाए जाते हैं। प्रत्येक दिन नए बर्तनों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की आग पर धीरे-धीरे पकने वाला यह भोजन अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक रसोई उपकरणों का

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के ‘शांति दूतों’ का क्यों सूख रहा है?

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीढ़ड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरद्वारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा

हल चला रहा होता है, कोई मजदूर रोज की मजदूरी के लिए घर से निकलता है, कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है और कोई दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। इन्ग्रे में किसी ने युद्ध की योजना नहीं बनाई, किसी ने मिसाइल नहीं चलाई, किसी ने किसी देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, फिर भी युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ आखिरकार इन्हीं लोगों के कंधों पर आ गिरता है। एक दिन एक सामान्य ग्राहक किराने की दुकान पर पहुंचा और रोजमर्रा का सामान खरीदने लगा। उसने देखा कि आटा, दाल, तेल और गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। उसने दुकानदार से पूछा, “भाई, हर महीने कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं?” दुकानदार ने मुस्कराकर जवाब दिया, “दुनिया में तनाव बढ़ गया है।” ग्राहक ने आश्चर्य से कहा, “लेकिन तनाव सगरे उपलब्धियों के बीच एक सवाल आना भी उतना ही बड़ा है जितना सदियों पहले था—क्या इंसान वास्तव में इंसान तक पहुंच पाया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर दिया जाए, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सुबह का अखबार उड़ाए, कहीं युद्ध की खबर है। टीवी चलाए तो किसी सीमा पर तनाव बढ़ने की चर्चा है। इंटरनेट खोलिए तो किसी नए संघर्ष, किसी नई मिसाइल, और फिर उसी सैन्य अभियान या किसी नए प्रतिबंध की सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से कम और संघर्षों की रेखाओं से अधिक पहचाना जाने लगा है। विज्ञान ने दूरियां घटा दीं, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं कर सकी। विडंबना यह है कि जिन लोगों का इन युद्धों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है। कोई किसान खेत में

प्रेरण

**मनुष्य की सबसे लंबी यात्रा: चांद से नहीं, इंसान से इंसान तक

कहा जाता है कि सभ्यता का सबसे बड़ा परिचय उसकी उपलब्धियों से मिलता है। आज जब दुनिया विज्ञान और तकनीक की नई ऊंचाइयों को छू रही है, तब यह दावा भी बड़े गर्व से किया जाता है कि मानव इतिहास अपने सबसे विकसित दौर में है। इंसान ने समुद्र की अगल गहराइयों को नापा, आसमान की सीमाओं को लांचा, चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़े और अब मंगल ग्रह पर स्थायी बस्तियां बसाने के सपने देख रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्त ऐसी मशीनें तैयार कर रही है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और संवाद करने लगी हैं। चिकित्सा विज्ञान असंभव मानी जाने वाली बीमारियों का इलाज खोज रहा है। संचार इतना तेज हो गया है कि दुनिया के किसी भी कोने की खबर कुछ ही सेकंड में हर हाथ में मौजूद मोबाइल तक पहुंच जाती है। लेकिन इन सगरे उपलब्धियों के बीच एक सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना सदियों पहले था—क्या इंसान वास्तव में इंसान तक पहुंच पाया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर दिया जाए, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सुबह का अखबार उड़ाए, कहीं युद्ध की खबर है। टीवी चलाए तो किसी सीमा पर तनाव बढ़ने की चर्चा है। इंटरनेट खोलिए तो किसी नए संघर्ष, किसी नई मिसाइल, और फिर उसी सैन्य अभियान या किसी नए प्रतिबंध की सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से कम और संघर्षों की रेखाओं से अधिक पहचाना जाने लगा है। विज्ञान ने दूरियां घटा दीं, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं कर सकी। विडंबना यह है कि जिन लोगों का इन युद्धों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है। कोई किसान खेत में

प्रेरण

हल चला रहा होता है, कोई मजदूर रोज की मजदूरी के लिए घर से निकलता है, कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है और कोई दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। इन्ग्रे में किसी ने युद्ध की योजना नहीं बनाई, किसी ने मिसाइल नहीं चलाई, किसी ने किसी देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, फिर भी युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ आखिरकार इन्हीं लोगों के कंधों पर आ गिरता है। एक दिन एक सामान्य ग्राहक किराने की दुकान पर पहुंचा और रोजमर्रा का सामान खरीदने लगा। उसने देखा कि आटा, दाल, तेल और गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। उसने दुकानदार से पूछा, “भाई, हर महीने कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं?” दुकानदार ने मुस्कराकर जवाब दिया, “दुनिया में तनाव बढ़ गया है।” ग्राहक ने आश्चर्य से कहा, “लेकिन तनाव सगरे उपलब्धियों के बीच एक सवाल आना भी उतना ही बड़ा है जितना सदियों पहले था—क्या इंसान वास्तव में इंसान तक पहुंच पाया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर दिया जाए, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सुबह का अखबार उड़ाए, कहीं युद्ध की खबर है। टीवी चलाए तो किसी सीमा पर तनाव बढ़ने की चर्चा है। इंटरनेट खोलिए तो किसी नए संघर्ष, किसी नई मिसाइल, और फिर उसी सैन्य अभियान या किसी नए प्रतिबंध की सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से कम और संघर्षों की रेखाओं से अधिक पहचाना जाने लगा है। विज्ञान ने दूरियां घटा दीं, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं कर सकी। विडंबना यह है कि जिन लोगों का इन युद्धों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है। कोई किसान खेत में

हल चला रहा होता है, कोई मजदूर रोज की मजदूरी के लिए घर से निकलता है, कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है और कोई दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। इन्ग्रे में किसी ने युद्ध की योजना नहीं बनाई, किसी ने मिसाइल नहीं चलाई, किसी ने किसी देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, फिर भी युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ आखिरकार इन्हीं लोगों के कंधों पर आ गिरता है। एक दिन एक सामान्य ग्राहक किराने की दुकान पर पहुंचा और रोजमर्रा का सामान खरीदने लगा। उसने देखा कि आटा, दाल, तेल और गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। उसने दुकानदार से पूछा, “भाई, हर महीने कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं?” दुकानदार ने मुस्कराकर जवाब दिया, “दुनिया में तनाव बढ़ गया है।” ग्राहक ने आश्चर्य से कहा, “लेकिन तनाव सगरे उपलब्धियों के बीच एक सवाल आना भी उतना ही बड़ा है जितना सदियों पहले था—क्या इंसान वास्तव में इंसान तक पहुंच पाया है? यदि इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर दिया जाए, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सुबह का अखबार उड़ाए, कहीं युद्ध की खबर है। टीवी चलाए तो किसी सीमा पर तनाव बढ़ने की चर्चा है। इंटरनेट खोलिए तो किसी नए संघर्ष, किसी नई मिसाइल, और फिर उसी सैन्य अभियान या किसी नए प्रतिबंध की सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से कम और संघर्षों की रेखाओं से अधिक पहचाना जाने लगा है। विज्ञान ने दूरियां घटा दीं, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं कर सकी। विडंबना यह है कि जिन लोगों का इन युद्धों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है। कोई किसान खेत में

प्रतीत होती है जो हर विवाद के बाद बैठक तो बुलानी है, चिंता भी व्यक्त करती है, शांति की अपील भी करती है, लेकिन झगड़ा समाप्त नहीं कर पाती। प्रस्ताव परित होतें हैं, बयान जारी होते हैं, प्रतिनिधिमंडल भेजे जातें हैं, मगर अगले ही दिन किसी नए क्षेत्र से घुर् और धमाकों की खबर आने लगती है। ऐसा लगता है कि शांति की भाषा सब बोलतें है, लेकिन उसे सुनने वाले बहुत कम रह गए हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियों का व्यवहार भी कम विरोधाभासी नहीं है। एक ओर वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति, सहयोग और मानवता की बातें करती हैं, वहीं दूसरी ओर हथियारों के उत्पादन और व्यापार में नए-नए रिकॉर्ड बनाती हैं। शांति सम्मेलन में कबوتر उड़ाए जातें हैं और कुछ ही दिनों बाद रक्षा सौदों की घोषणाएं होने लगती हैं। यह दृश्य कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति पहले बीमारी फैलाए और फिर उसी बीमारी की दवा बेचने लगे। युद्ध जितना विनाश लाता है, उतना ही बड़ा कारोबार भी खड़ा करता है। शायद यही कारण है कि दुनिया में शांति की सबसे अधिक चर्चा होती है, लेकिन हथियारों का बाजार भी लगातार बढ़ता रहता है। कुछ लोग यह तर्क देतें हैं कि हर युद्ध ग़लत नहीं होता। कभी-कभी राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है। किसी भी देश को अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब युद्ध समाधान की जगह प्रतिष्ठा, शक्ति प्रदर्शन या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बन जाता है। तब उसकी कीमत सैनिकों के साथ-साथ उन करोड़ों निर्दोष लोगों को भी चुकानी पड़ती है जिनका उस



था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की

करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं। इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पर से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही

है? ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही

Bangladesh से बजा चाइनीज अलार्म भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? अब ‘मुनरो डॉक्ट्रिन’ लागू करने का टाइम आ गया

बचपन में कछुए और खराशो की रेस वाली कहानी तो हम सबने सुनी है? रफ्तार के घमंड में चूर खराशो पेड़ की छांव में सोता रह गया और कछुआ धीरे-धीरे बाजी मार ले गया। आज दक्षिण एशिया के समंदर में भारत और चीन के बीच ठीक वही कहानी दोहराई जा रही है, और इसका सबसे ताजा व खतरनाक गवाह बांग्लादेश का मौंगला पोर्ट बना है। कहानी की शुरुआत में बाजी भारत के हाथ में थी। नई दिल्ली ने बीजिंग को सीधी शिकस्त देकर इस रणनीतिक पोर्ट के अपरोक्षेक्षण का प्रोजेक्ट नफा नफा किया था। लगा कि रेस जित ली गई है, लेकिन कछुए की चाल चल रह चीन ने हार नहीं मानी, वो चुपचाप अपनी गोटियां फिट कर रहा। देखते ही देखते 10 सालों बाद चीन की हाक बीजिंग से हाथ मिला चुका था और जो डोल भारत की मुट्ठी में थी, वह उसने कितने ग्रहों तक पहुंच बनाई, बल्कि इस बात से बांधी जाएगी कि उसने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मापी कितना विश्वास, कितना सम्मान और कितनी शक्ति स्थापित की। यदि विज्ञान की ऊंचाइयों के साथ मानवता की गहराई नहीं बढ़ी, तो सगरी प्रति अपूर्वी रह जाएगी। चांद पर झंडा गाड़ देना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी पूछे बच्चे की थाली पर देना उससे कहीं बड़ी मान्यता है। अंतरिक्ष में जीवन खोजने से पहले यदि धरती पर जीवन को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाया जाए, तो शायद विज्ञान का उद्देश्य भी अधिक सार्थक होगा।

मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा। सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहाँ है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की पहली देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं। देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों के अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी। बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2022 में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा के साथ एक नए समझौता भी किया। डील पर डील होती रही, योजनाएं बनती रही लेकिन काम कभी आर शुरू भी नहीं हुआ। 2 साल की तय समय सीमा भी निकल गई लेकिन जमीन पर एक फावड़ा तक नहीं चला। फिर आज 204 जुलाई और आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल आपस में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकार नौकरियों का करीब 1/

विकसित गुजरात@2047 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल

►► मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप का अनावरण किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

►► प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है

►► सभी के समन्वित और निष्ठापूर्ण प्रयासों से विकसित गुजरात का निर्माण अवश्य ही होगा

►► गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण अवसर पर वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति

►► सरकार के पास संसाधनों या पैसों की कोई कमी नहीं है : अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत : मुख्य सचिव श्री एम.के. दास

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित गुजरात @ 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण के जरिए विजन से ऑन ग्राउंड एक्सीक्यूशन (जमीनी स्तर पर लागू करना) की ओर राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल की है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को गांधीनगर में जारी किया गया यह रोडमैप गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अहिर सहित कई वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप को राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का मंत्र दिया है, जिसमें उनकी मंशा राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी से समवाेशी विकास सुनिश्चित करना है।

उन्होंने साफ कहा कि रोडमैप यह स्पष्ट करता है कि क्या करने की आवश्यकता है, किसे करना है और किस समयसीमा में करना है, जिससे एक केंद्रित (फोकस्ड) और जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य के बजाय



परिणामों पर जोर देते हुए कहा कि यह कार्यान्वयन रोडमैप अंततः नागरिकों के लिए बेहतर आजीविका, मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ विकास के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें शासन में गुणवत्ता की प्रधानमंत्री की हिमायत को जीआरआईटी-ग्रिट की स्थापना और उसके द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक रणनीतिक विजन वाले रोडमैप के कार्यान्वयन के जरिए चरितार्थ करना है, जिसका लक्ष्य गुजरात को प्रतिस्पर्धी, समावेशी, टिकाऊ और टेकोलॉजी-ड्रिवन स्टेट के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम आदमी की खुशहाली और उसके आर्थिक आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ‘ऑर्निंग वेल्, लिविंग वेल्’ यानी बेहतर कमाई, बेहतर

जीवन की जो अवधारणा दी है, उसे पूरा करने में ग्रिट के इस रोडमैप का कार्यान्वयन पथप्रदर्शक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमने विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप में जो माइक्रो प्लानिंग की है, उसे कार्यायोजना के माध्यम से लागू करने तथा समन्वित और निष्ठापूर्ण साझा प्रयासों से विकसित गुजरात अवश्य ही बनेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों के सुशासन में विकास के जो दृष्टिकोण अपनाए हैं, उसे आगे बढ़ाने से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। गुजरात ने विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी रहने का जो संकल्प किया है, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत रहना होगा।

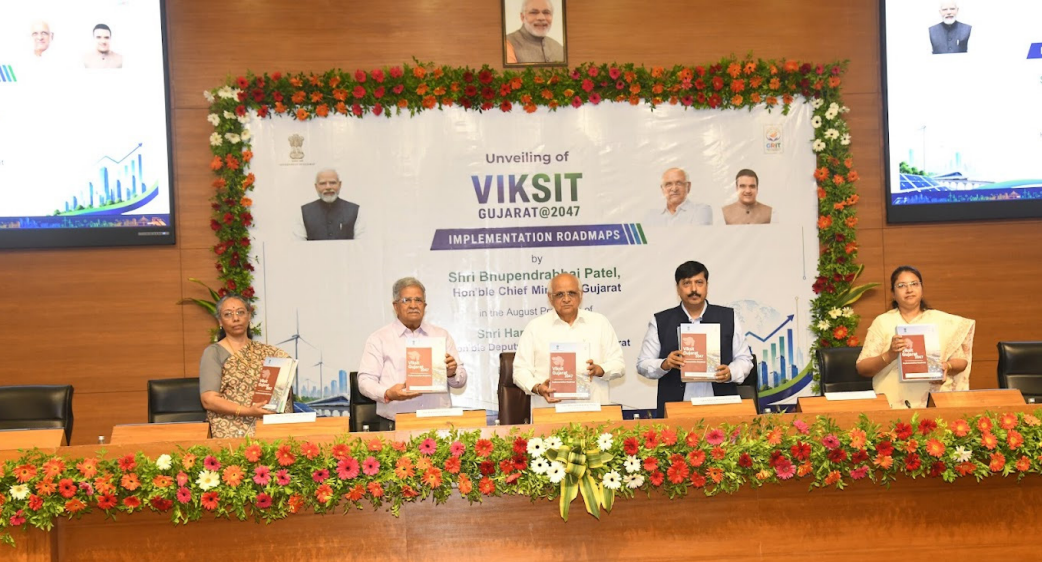
इस उद्देश्य के लिए, मुख्यमंत्री ने हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने

और ‘चलता है’ वाली मानसिकता को दूर करके 100 फीसदी शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यों की बात को केंद्र में रखकर गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की सीख भी दी।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने कहा कि आज भारत अभाव से प्रभाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकसित गुजरात का रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो असंभव न हों, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े।

सौभाग्य से गुजरात सरकार के पास संसाधन या बजट-धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत है।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि विकास की इस प्रक्रिया को सफल बनाने के



लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) तक, सभी अधिकारियों को और भी सक्रिय होना पड़ेगा। यदि किसी विभाग को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई विचार सहायता, नीति में बदलाव या नए निर्णयों की जरूरत हो, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बंदरगाह और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में केपीआई के अनुसार संतुलित विकास ही हमारी प्राथमिकता है।

जीआरआईटी की सीईओ सुश्री एस. अण्णा ने ‘विकसित गुजरात @2047 कार्यान्वयन रोडमैप’ पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जनवरी, 2024 में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें राज्य के सभी 26 विभागों के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2047 तक गुजरात का सकल

घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस रोडमैप में लिविंग वेल और ऑर्निंग वेल के मंत्र को साकार करने के लिए मुख्य लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई विचार सहायता, नीति में बदलाव या नए निर्णयों की जरूरत हो, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बंदरगाह और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में केपीआई के अनुसार संतुलित विकास ही हमारी प्राथमिकता है।

जीआरआईटी की सीईओ सुश्री एस. अण्णा ने ‘विकसित गुजरात @2047 कार्यान्वयन रोडमैप’ पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जनवरी, 2024 में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें राज्य के सभी 26 विभागों के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2047 तक गुजरात का सकल

सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव (आयोजन) श्री आद्रा अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने ‘विकसित भारत@2047’ की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इसी विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने भी वर्ष 2047 तक वैश्विक स्तर पर समृद्ध, प्रतिस्पर्धी, सर्वसमावेशी, टिकाऊ और इनोवेशन-आधारित राज्य बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कार्यों की सटीक समीक्षा के लिए गांधीनगर स्थित ‘ग्रिट’ कार्यालय में एक अत्याधुनिक ‘स्ट्रैटेजी रूम’ विकसित गुजरात @2047 देशबोर्ड में शिक्षा, कृषि, पर्यटन और जलापूर्ति विभाग में मौजूदा स्थिति और भविष्य के आयोजन के बारे में रोडमैप को साकार करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

मानसून के दौरान महसाणा-तारंगा हिल रेलखंड पर तीन रेलवे अंडरपास अस्थायी रूप से रहेंगे बंद

यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद मण्डल द्वारा महसाणा-तारंगा हिल रेलखंड पर स्थित तीन रेलवे अंडरपास (RUB) को मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा होने की स्थिति में 10 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नासुर है—

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 41A – वडनगर सिटी के समीप (केसिंपा खेतों का मार्ग विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 16D – विसनगर सिटी के समीप (शेरडीनगर से कांसा विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 22A – मस्तान नगर सोसायटी, वडनगर दरवाजा अहमदाबाद मण्डल आम नागरिकों से अनुरोध करता है कि इस अवधि में रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें तथा भारी वर्षा के दौरान इन रेलवे अंडरपासों का उपयोग करने से बचें।

►► 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा हर साल 1.89 करोड़ बच्चों (0-18 वर्ष) का चेकअप कर तैयार किया जाएगा ‘हेल्थ पासपोर्ट’

►► जन्म से 18 साल तक की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, बीमारियों (4D) की ट्रैकिंग और पोषण का स्तर अब एक ही डॉक्यूमेंट में

►► 5 साल तक व स्कूल न जाने वाले बच्चों का कार्ड PHC मेडिकल ऑफिसर, जबकि छात्रों का कार्ड स्कूल प्रिंसिपल करेंगे रिन्यू

वडोदरा, 01 जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि एक ‘स्वस्थ भारत’ की मजबूत नींव, ‘कव्छ बचपन’ पर ही रखी जा सकती है। पीएम मोदी के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए और ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों व किशोर-किशोरियों की हेल्थकेयर सुविधाओं को और ज्यादा स्मार्ट, सस्टेनेबल और फैमिली एवं चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए ‘हेल्थ पासपोर्ट’ का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। स्कूल हेल्थ - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत अब गुजरात में जन्म से 18 साल तक के हर बच्चे का अपना एक हेल्थ पासपोर्ट होगा। यह सिर्फ कोई सामान्य हेल्थ कार्ड नहीं, बल्कि बच्चे की जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की पूरी स्वास्थ्य यात्रा का एक पक्का डॉक्यूमेंट होगा। उल्लेखनीय है कि इस राज्यव्यापी कार्यक्रम को शुरुआत 27 जून 2026 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में की गई है।

1.89 करोड़ बच्चों के पास होगा



अपना ‘हेल्थ पासपोर्ट’, 992 मोबाइल टीमें करेंगी तैयार

गुजरात में SH-RBSK के तहत हर साल लगभग 1.89 करोड़ बच्चों का हेल्थ चेकअप 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा किया जाता है। फिलहाल इन चेकअप का



रिपोर्टें डिजिटल पोर्टल पर तो मौजूद हैं, लेकिन माता-पिता या बच्चों के पास ऐसा कोई हैंडी डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसे वे रेंगुलर रूटीन चेकअप, इलाज या फॉलो-अप के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

प्रस्तावित ‘हेल्थ पासपोर्ट’ इसी कमी को दूर करेगा और बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमेटिक और आसान फॉर्मेट में पेश करेगा।

आसान होगी हेल्थ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग स्थल पर ही मिलेगा पासपोर्ट, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं

अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। बच्चों का ‘हेल्थ पासपोर्ट’ बनवाने के लिए माता-पिता को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। SH-RBSK की मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा आंगनवाड़ी, स्कूल, मदरसा, गुरुकुल और स्पेशल स्कूलों में बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग और

दूर करेगा और बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमेटिक और आसान फॉर्मेट में पेश करेगा।

आसान होगी हेल्थ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग स्थल पर ही मिलेगा पासपोर्ट, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं

अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। बच्चों का ‘हेल्थ पासपोर्ट’ बनवाने के लिए माता-पिता को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। SH-RBSK की मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा आंगनवाड़ी, स्कूल, मदरसा, गुरुकुल और स्पेशल स्कूलों में बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग और

डिजिटल प्लैटफॉर्म पर डेटा एंट्री के बाद बच्चों को यह हेल्थ पासपोर्ट वहीं दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके रिन्यूअल की व्यवस्था भी स्पष्ट है। 5 साल तक के बच्चों या स्कूल न जाने वाले बच्चों के हेल्थ पासपोर्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मेडिकल ऑफिसर (MO) द्वारा हर साल रिन्यू किया जाएगा। वहीं, स्कूली छात्रों के लिए यह जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य निभाएंगे।

18 साल तक के बच्चों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री का ‘इटीग्रेटेड रिकॉर्ड’ बनेगा गुजरात का ‘हेल्थ पासपोर्ट’

यह हेल्थ पासपोर्ट हर बच्चे की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री का एक मास्टर डॉक्यूमेंट होगा। इसमें बच्चे की बेसिक डिटेल्स के साथ जन्म से 18 साल तक के उम्र-वार हेल्थ चेकअप का पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। इसके अलावा, स्कूल हेल्थ-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत फोकस की जाने वाली चार प्रमुख कैटेगरीज (4D) यानी जन्मजात डिफेक्ट्स, बीमारियाँ, न्यूट्रिशन की कमी और डेवलपमेंट में देरी या विकलांगता का पूरा अपडेट इसमें शामिल होगा। यही

नहीं, बच्चे की शारीरिक-मानसिक वृद्धि व विकास, पोषण का स्तर, रेफरल सर्विसेज, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े रिस्क, लाइफस्टाइल एडवाइस और इमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर भी इस पासपोर्ट का हिस्सा होंगे। आसान शब्दों में कहें तो परिवारों को बच्चे की सेहत से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी।

इस पहल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका डिजिटल इंटीग्रेशन है। हेल्थ पासपोर्ट की फिजिकल कॉपी माता-पिता के पास ही सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसे SH-RBSK डिजिटल पोर्टल के साथ पूरी तरह से सिंक किया जाएगा, जिससे डेटा मैनेजमेंट बिल्कुल सीमलेस रहेगा। अगर किसी वजह से फिजिकल हेल्थ पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया हेल्थ सिस्टम में मैनेजमेंट में एक एक्टिव पॉटनर बनाना है। इससे बच्चों, पैटेंट्स और हेल्थकेयर सिस्टम के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनेगा।

बारिश की फुहारों में भी निखरे दुल्हन का रूप, मानसून वेडिंग के लिए अपनाएं स्मार्ट ब्यूटी और स्टाइल टिप्स

मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और रिश्तियां फुहारों का ऐसा सृहना एहसास लेकर आता है, जो किसी भी शादी को और अधिक यादगार बना देता है। बारिश की बूंदों के बीच सजा विवाह समारोह अपने आप में एक अलग ही रोमांस और खूबसूरती संकेत होता है। यही कारण है कि आजकल कई जोड़े मानसून वेडिंग का प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि यह मौसम जितना खूबसूरत है, उतनी ही सावधानी भी मांगता है। उमस, बारिश, नमी और फिसलन जैसी परिस्थितियां दुल्हन के मेकअप, हेयरस्टाइल, पहनावे और पूरे लुक को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि आपको शादी बारिश के मौसम में होने वाली है, तो केवल सुंदर परिधान चुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौसम के अनुरूप पूरी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है।

दुल्हन की खूबसूरती केवल शादी वाले दिन क्रिम आधारित ब्लश और आई शैडो को बनाय रहता है। बारिश या पसीने की वजह से फैल सकता है, जिससे आंखों के आसपास कालापन दिखाई देने लगता है। बहुत भारी या गहरे रंग का मेकअप करने के बजाय हल्का और प्राकृतिक लुक अधिक आकर्षक लगता है। इसी प्रकार बिंदी के लिए वाटरप्रूफ लिक्विड बिंदी या अच्छी गुणवत्ता वाली स्टिकर, कुंदन अथवा स्टोन वाली बिंदी बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये नमी में भी अपनी जगह पर बनी रहती हैं।

के संपर्क में आते ही फैल सकते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ सकता है। इसलिए वाटरप्रूफ फाउंडेशन, कंसिलर, मस्कारा, आईलाइनर और लिप करर का उपयोग करना बेहतर रहता है। शादी से कुछ दिन पहले मेकअप ट्रायल अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन-से उत्पाद आपकी त्वचा पर लंबे समय तक टिकते हैं और मौसम का प्रभाव कितना पड़ता है। यदि संभव हो तो ट्रायल के दौरान चेहरे पर हल्के पानी के छींटे डालकर भी उसकी टिकाऊ क्षमता की जांच की जा सकती है।

मानसून में मेकअप को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए ट्रांसलुसेंट पाउडर बेहद उपयोगी साबित होता है। यह अतिरिक्त नमी और तेल को सोखकर चेहरे को मैट फिनिश देता है तथा मेकअप को बहने से बचाता है। क्रिम आधारित ब्लश और आई शैडो को बनाय रहता है। बारिश या पसीने की वजह से फैल सकता है, जिससे आंखों के आसपास कालापन दिखाई देने लगता है। बहुत भारी या गहरे रंग का मेकअप करने के बजाय हल्का और प्राकृतिक लुक अधिक आकर्षक लगता है। इसी प्रकार बिंदी के लिए वाटरप्रूफ लिक्विड बिंदी या अच्छी गुणवत्ता वाली स्टिकर, कुंदन अथवा स्टोन वाली बिंदी बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये नमी में भी अपनी जगह पर बनी रहती हैं।

मानसून में हेयरस्टाइल का चुनाव भी सोच-समझकर करना चाहिए। इस मौसम में खुले बाल जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं और उनकी चमक कम हो सकती है। इसलिए कफ-सुथरा बन, लो बन, ब्रेडेड बन, फिशटेल चोंटी या स्टाइलिश पोनीटेल जैसे हेयरस्टाइल अधिक सुविधाजनक रहते हैं। हल्के फ्रूलों या आकर्षक हेयर एक्सेसरीज के साथ इन्हें और खूबसूरत बनाया जा सकता है। यदि बालों में फ्रिज की समस्या रहती है तो शादी से पहले हेयर स्पा या डीप कंडीशनिंग केरवाना लाभदायक रहता है। एंटी-फ्रिज सीरम का उपयोग भी बालों को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। बारिश के मौसम में परिधान का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत भारी, मोटे या अत्यधिक कढ़ाई वाले वस्त्र न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि भीगने पर असुविधाजनक भी हो जाते हैं। ऑर्गैज, शिर्षान, जॉर्जेट, क्रैप, साटन और हल्के सिल्क जैसे फैब्रिक मानसून के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये कपड़े आधुनिक हल्के होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और लंबे समय तक पहनने में आरामदायक रहते हैं। यदि लहंगा पहन रही हैं तो उसकी लंबाई इतनी रखें कि वह जमीन पर अधिक न घिसते, जिससे क्रीच और गंदगी से बचाव हो सके। दुपट्टे की लंबाई भी व्यावहारिक रखनी चाहिए ताकि उसे संपालना आसान रहे।

आभूषणों का चयन भी मौसम को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बहुत भारी गहनों की बजाय हल्के लेकिन आकर्षक आभूषण पहनना अधिक आरामदायक रहता है। होंरे, मोती, क्रिस्टल या कुंदन की हल्की कढ़ाई और ज्वेलरी मानसून में सुंदर भी लगती है और नमी का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। फुटवियर का चुनाव अक्सर नजरअंदाज कर

दिया जाता है, जबकि मानसून वेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि शादी खुले लॉन या गार्डन में हो रही हो तो ऊंची हील पहनना जोखिम भरा हो सकता है। क्रीचड़ या गीली घास पर चलने में फिसलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में स्टाइलिश पंजाबी जूती, वेज हील्स या मजबूत ग्रिप वाले आरामदायक फुटवियर बेहतर विकल्प होते हैं। ये न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि लंबे समय तक पहनने में भी सुविधा देते हैं।

दुल्हन के साथ-साथ शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को भी मानसून के अनुरूप हल्की फुहारें शादी की तस्वीरों को भी बेहद खूबसूरत बना देती हैं। यदि थोड़ी-सी योजना, सही ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उपयुक्त परिधान और मौसम के अनुरूप स्टाइलिंग अपनाई जाए तो बारिश का मौसम किसी भी दुल्हन के लिए पेशानी नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती को और भी यादगार बनाने वाला अवसर बन सकता है। सही तैयारी के साथ मानसून की शादी रोमांस, ताजगी, आकर्षण और यादगार पलों का ऐसा संगम बन जाती है, जिसे जीवनभर संजोकर रखा जा सकता है।

— शहनाज हुसैन
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ एवं हर्बल क्वीन

प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

►► वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में टीबी के नए मरीजों में 34 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी

►► वर्ष 2025 में ‘स्ट्रेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट’ श्रेणी में गुजरात पूरे देश में प्रथम

►► देश में सबसे कम टीबी के मामले वाले राज्यों में गुजरात छठे तथा बड़े राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त किया

►► ‘नि-क्षय पोषण योजना’ अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

►► वर्ष 2025 में राज्य में 3,971 ग्राम पंचायतों ने ‘टीबी मुक्त पंचायत’ का दर्जा प्राप्त किया

गांधीनगर : कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में गुजरात में टीबी के नए मरीजों की दर में 34 प्रतिशत तथा टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात ने वर्ष 2025 में ‘स्ट्रेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट’ श्रेणी में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य



मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत गुजरात राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रवक्ता मंत्री ने इस संबंध में आगे कहा कि भारत सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में टीबी के नए मरीजों की अनुमानित दर प्रति एक लाख आबादी पर 186 दर्ज की गई है। इसके आधार पर गुजरात ने देश में सबसे कम टीबी बोझ वाले राज्यों में छठा तथा बड़े राज्यों में चौथा

स्थान प्राप्त किया है।

चालू वर्ष के कामकाज का विवरण देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि जनवरी से मई-2026 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रो रेटा के अनुसार निर्धारित 58,333 के लक्ष्य के मुकाबले राज्य में 57,334 अर्थात 98.30 प्रतिशत टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचार के अंतर्गत लिया गया। इनमें से 50,928 यानी 91 प्रतिशत मरीज लाख आबादी पर 186 दर्ज की गई इसके अतिरिक्त; भारत सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 से प्रारंभ किए गए ‘टीबी मुक्त भारत अभियान -

100 दिवस अभियान’ अंतर्गत राज्य के 5,012 उच्च जोखिम वाले गांवों में घर-घर जाकर टीबी सर्विलांस किया गया।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 23.38 लाख व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग, 15.04 लाख व्यक्तियों की एक्स-रे जांच, 5.05 लाख व्यक्तियों की सटीक एनएएटी जांच तथा 32,377 नए टीबी मरीजों का निदान कर उनका उपचार शुरू किया गया है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाएं, कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संस्थाएं निक्षय मित्र के रूप में जुड़ी हैं। राज्य में अब तक 30,992 नि-क्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं, जिनमें मरीजों को 5,50,184 पोषण किटों का वितरण किया है।

वर्ष 2025 के दौरान राज्य की 3,971 ग्राम पंचायतों ने ‘टीबी मुक्त पंचायत’ का दर्जा प्राप्त किया, जो राज्य की कुल ग्राम पंचायतों का लगभग 27 प्रतिशत है।

